

मध्य प्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक-एफ-19-23/2020/पी-1/31
प्रति,

भोपाल, दिनांक...../...../2020

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल ।

विषय - "न मांग न जाँच" प्रमाण पत्र बावत्- श्री के0 के0 मिश्रा, से0नि0 कार्यपालन यंत्री]

—00—

श्री के0 के0 मिश्रा, कार्यपालन यंत्री अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 30.06.2020 से सेवा निवृत्त हुये।

2/ विभाग में उपलब्ध जानकारी/अभिलेखों के आधार पर श्री के0 के0 मिश्रा, से0नि0 कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध वर्तमान में कोई मांग एवं जांच लंबित नहीं है । श्री के0 के0 मिश्रा, सम्पूर्ण सेवा काल में कभी भी नर्मदा घाटी विकास विभाग में पदस्थ नहीं रहे है ।

अतः उपरोक्त जानकारी के आधार पर श्री के0 के0 मिश्रा, से0नि0 कार्यपालन यंत्री के पक्ष में " न मांग न जांच " प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

(प्रमोद कुमार खरे)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

जल संसाधन विभाग भोपाल

भोपाल, दिनांक 23/09/2020

पृ0क्रं0-एफ-19-23/2020/पी-1/31

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता, घसान केन कछार, जल संसाधन विभाग सागर म0प्र0 ।
2. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल छतरपुर म0प्र0 ।
3. संबंधित कोषालय अधिकारी.....
4. संबंधित अधिकारी श्री के0 के0 मिश्रा, से0नि0 कार्यपालन यंत्री (द्वारा-प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग)
5. वेब मैनेजर, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर विभाग की वेबसाइट पर प्रविष्टि हेतु।
6. स्टाक पंजी ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

22/9/20

म0प्र0 शासन, जल संसाधन विभाग भोपाल